RSWM/SECTT/2026
July 25, 2026

BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, **MUMBAI - 400 001** **Scrip Code: 500350**	National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block - G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), **MUMBAI - 400 051** **Scrip Code: RSWM**

Sub: Submission of Newspapers Cutting of Notice of 65th Annual General Meeting.

Dear Sir/ Madam,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding notice of 65th Annual General Meeting published on 25th July, 2026 in "Business Standard" in English language and in "Business Remedies" & "Nafa Nuksan" in Hindi language.

This above information is also made available on the website of the Company www.rswm.in

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **RSWM LIMITED**

SURENDER GUPTA
SR. VICE PRESIDENT – LEGAL & COMPANY SECRETARY
FCS – 2615
rswm.investor@lnjbhilwara.com

Encl.: As above

Montek Singh Ahluwalia,
Former Deputy Chairman, Planning Commission

Naushad Forbes,
Co-chairperson, Forbes Marshall

A K Bhattacharya,
Editorial Director, Business Standard

Moderated by
Nivedita Mookerji, Business Standard

30 July | 6 PM IST

SCAN TO REGISTER

Business Standard Dialogue

RSWM LIMITED

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

CIN: L17115RJ1960PLC008216
Registered Office: Kharigram,
P.O. Gulabpura – 311 021, Distt. Bhilwara, Rajasthan
Phone:+91-1483-223144 to 223150, 223478, Fax:+91-1483-223361, 223479
Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector –1, Noida–201 301 (U.P)
Phone:+91-120-4390300 (EPABX), Fax:+91-120-4277841
E-mail: **rswm.investor@lnjbhilwara.com**; Website: **https://www.rswm.in**

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

NOTICE OF THE 65th ANNUAL GENERAL MEETING OF RSWM LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting **("AGM")** of RSWM Limited **("the Company")** will be held on **Wednesday, the 26th day of August, 2026 at 2:00 P.M.** through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio-Visual Means **("OAVM")** to transact the businesses as set out in the Notice of the 65th AGM which will be sent in due course of time.

Pursuant to the General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA"**) read together with previous circular issued byMCA in this regards (hereinafter referred as "MCA Circulars") and any other applicable laws and regulations and applicable circular issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing **("VC")** or other audio visual means **("OAVM")**, without the physical presence of members at a common venue. In compliance with the said Circulars, AGM shall be conducted through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company at Kharigram, P.O. Gulabpura – 311021, Distt. Bhilwara, Rajasthan.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2025-26, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant as of Friday 24th July, 2026. In case of members whose email is not registered with the Company/ Depository Participant, a letter providing the web link of Integrated Annual report and Notice of AGM shall be sent by Registered/ Speed Post The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at **www.rswm.in** on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. **www.evoting.nsdl.com**.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, the 20th August, 2026 to Wednesday, the 26th August, 2026 (both days inclusive)**.

The Company will be providing facility of remote e-voting and e-voting at the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has made arrangement with **National Securities Depository Limited (NSDL)** for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

The remote e-voting period commences on **Saturday, the 22nd August, 2026 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, the 25th August, 2026 (5:00 p.m.).** Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off date of Wednesday, the 19th August, 2026,** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **Cut-Off date of Wednesday, the 19th August, 2026** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM. Login details for e-voting shall be made available to the members on their registered email address.

Manner of registering of Email addresses:

Members are requested to provide their email addresses and bank account details to Registrar and Share Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited of the Company or Depository Participants (DP). The process of registering the same is mentioned below:

In case of Physical shareholding	Send a duly signed request letter in **Form ISR-1** along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. **MCS Share Transfer Agent Limited** (**Unit : RSWM Limited)**, 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or scanned copy on email at **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** and provide the following details/documents for registering email address: **a)** Folio No., **b)** Name of shareholder, **c)** Email ID, **d)** Copy of PAN card (self-attested), **e)** Copy of Aadhaar (self-attested) **f)** Copy of share certificate (front and back) **g)** Contact Number. Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account details: **a)** Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, **b)** the Bank Account type, **c)** Bank Account Number, **d)** MICR Code Number, **e)** IFSC Code, and **f)** Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder
In case of Demat shareholding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

In case of any queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" available at downloads section of "**http://www.evoting.nsdl.com**" or call at 022- 4886 7000 and 022- 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Asstt. Vice President, NSDL, at **evoting@nsdl.com.**

The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular(s).

By order of the Board
for RSWM LIMITED
Sd/-
Surender Gupta
Chief Compliance Officer and Company Secretary
FCS - 2615

Place : Noida (U.P.)
Date : 24th July, 2026

ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L21011OR1936PLC000117
Registered Office: Unit – VIII, Plot No. 7, Bhoinagar, Bhubaneswar – 751012 (Odisha)
Tel: (0674) 239 6930 I E-mail: cosec@opil.in I Website: www.orientpaper.in

NOTICE

Notice is hereby given that in terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026, a Special Window has been opened from February 05, 2026 to February 04, 2027, for transfer and dematerialisation of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. The special window shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended to due to deficiencies, subject to rectification and re-submission within the aforesaid period. All such transfers shall be processed only in dematerialised form and shall be subject to a lock-in period of one year from the date of registration of transfer, as per the SEBI guidelines.

For further details you may contact the Company at cosec@opil.in or the RTA, i.e., KFin Technologies Limited at Toll free no. 1800-309-4001/ E-mail: einward.ris@kfintech.com/ Website: www.kfintech.com.

For ORIENT PAPER & INDUSTRIES LIMITED
R. P. Dutta
Company Secretary

Kolkata
24th July, 2026

KHADIM INDIA LIMITED

KHADIM

Registered Office: 7th Floor, Tower C, RDB Primarc TechPark
08 Major Arterial Road, Block –AF, New Town (Rajarhat),
Kolkata -700156, West Bengal, India
Website: www.khadims.com
Tel No.: 033 4009 0501
E-mail: compliance@khadims.com
CIN: L19129WB1981PLC034337

NOTICE

NOTICE is hereby given that an **Extra-ordinary General Meeting** (the "EGM" or the "Meeting") of the Members of **Khadim India Limited** (the "Company") has been scheduled on **Saturday, August 01, 2026 at 11:30 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the EGM dated July 09, 2026 (hereinafter referred to as "EGM Notice") and which has already been communicated to all the shareholders of the Company at their respective e-mail-ids on July 10, 2026. The copy of the EGM Notice is also hosted on the website of the Company at www.khadims.com under *Investor Relations > SEBI Disclosure > Postal Ballot / EGM> Notice.*

As directed by BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, the stock exchanges where the shares of the Company are listed, the Company has revised the EGM Notice incorporating changes as advised by these stock exchanges and a Corrigendum Notice dated July 23, 2026 (hereinafter referred to as "Corrigendum Notice") has also been circulated to all the shareholders of the Company on July 24, 2026 accordingly. The copy of the Corrigendum Notice is also hosted on the website of the Company at www.khadims.com under *Investor Relations > SEBI Disclosure > Postal Ballot / EGM>Notice.*

The EGM will be held without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made there under and in accordance with regulations and circulars as issued by the Securities and Exchange Board of India in this regard, to transact the business as set out in the above mentioned Notices in the manner as mentioned therein. Please note that there is no change in the cut-off date, date of EGM, remote e-voting starting and ending date, the manner of e-voting and attending the EGM through VC/OAVM mode as already published by the Company in detail in the newspapers namely, "Business Standard" (all edition) in English and in 'Aajkal' in Bengali on July 08, 2026 and July 11, 2026 for the Members of the Company at large.

The Members may reach out to the Company at compliance@khadims.com or at 033 4009 0501 in case of any further clarification in this regard.

For and on behalf of Khadim India Limited
Sd/-
Abhijit Dan
Group Company Secretary & Head-Legal

Place: Kolkata
Date : July 24, 2026

SHRIRAM FINANCE LIMITED

SHRIRAM Finance

Corporate Identity No. (CIN) : L65191TN1979PLC007874
Registered Office: Sri Towers, 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032, Tamil Nadu.
Tel. No: +91 44 4852 4666, Fax: +91 44 4852 5666. Website : www.shriramfinance.in, Email : secretarial@shriramfinance.in

Extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2026

(Rs. in crores)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2026 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	30.06.2026 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
1.	Total Income from operations	13,394	12,509	11,536	48,118	13,400	12,513	11,536	48,133
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	4,622	3,915	2,907	13,292	4,626	3,917	2,906	13,300
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	4,622	3,915	2,907	13,292	4,626	3,917	2,906	13,300
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	3,445	3,014	2,156	9,998	3,447	3,015	2,155	10,004
5.	Net Profit for the period after tax from continuing operations and share of profit / (loss) of associate	NA	NA	NA	NA	3,453	3,021	2,159	10,025
6.	Net profit for the period after tax / (loss) from discontinued operations	NA	NA	NA	NA	-	(0)	(0)	(1)
7.	Net Profit for the period after tax from Total Operations	3,445	3,014	2,156	9,998	3,453	3,021	2,159	10,024
8.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,338	3,612	2,193	10,887	3,346	3,619	2,197	10,912
9.	Paid-up Equity Share Capital	471	376	376	376	471	376	376	376
10.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				65,329				65,542
11.	Securities Premium Account	57,088	17,569	17,549	17,569	57,088	17,569	17,549	17,569
12.	Net Worth	108,297	65,244	58,866	65,244	108,521	65,459	59,060	65,459
13.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14.	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
15.	Debt Equity Ratio	2.14	3.82	4.15	3.82	2.14	3.80	4.14	3.80
16.	Earnings per share (before and after extraordinary items) (of Rs.2/- each) (Not annualised for the interim periods)								
	For continuing operations								
	Basic (Rs.):	14.83	16.02	11.46	53.15	14.86	16.06	11.48	53.29
	Diluted (Rs.):	14.82	16.01	11.45	53.11	14.85	16.05	11.47	53.25
	For discontinued operations								
	Basic (Rs.):	NA	NA	NA	NA	-	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Diluted (Rs.):	NA	NA	NA	NA	-	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	For total operations								
	Basic (Rs.):	14.83	16.02	11.46	53.15	14.86	16.06	11.48	53.29
	Diluted (Rs.):	14.82	16.01	11.45	53.11	14.85	16.05	11.47	53.25
17.	Capital Redemption Reserve	54	54	54	54	54	54	54	54
18.	Debenture Redemption Reserve	137	137	119	137	137	137	119	137
19.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Note :
1. Amounts less than Rs. 1 crore are presented as Rs. 0 crore.
2. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and the Company's website: www.shriramfinance.in. The same can be accessed by scanning the QR code provided.

By order of the Board
For SHRIRAM FINANCE LIMITED

Parag Sharma
Managing Director & CEO
DIN: 02916744

Place : Mumbai
Date : July 24, 2026

हिंदुस्तान जिंक का पहली तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन, शुद्ध लाभ 145 प्रतिशत बढ़कर 5,469 करोड़

उदयपुर | बिज़नेस रेमेडीज

दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता (जिंक) उत्पादक कंपनी और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 चांदी उत्पादकों में शामिल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (बीएसई: 500188 7 एनएसई : हिंदजिंक) ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत अब तक के सबसे शानदार पहली तिमाही के प्रदर्शन के साथ की। कंपनी ने परिचालन से 13,747 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक है। वहीं, 8,074 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक तिमाही EBITDA दर्ज किया, जिसमें 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी का शुद्ध लाभ भी 5,469 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जो साल-दर-साल 145 प्रतिशत अधिक है। इस मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के पीछे पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक 268 किलो टन (KT) खनन धातु उत्पादन और 851 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की अब तक की सबसे कम तिमाही जस्ता उत्पादन लागत रही। यह कंपनी की मजबूत परिचालन क्षमता, प्रभावी लागत प्रबंधन और उद्योग में उसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त को दर्शाता है। हिंदुस्तान जिंक ने रिकॉर्ड मुनाफा, मजबूत नकदी प्रवाह और बेहतर मार्जिन दर्ज करते हुए दुनिया के सबसे कम लागत वाले जस्ता उत्पादकों में अपनी स्थिति और मजबूत की है। साथ ही, कंपनी ने दीर्घकालिक विकास के लिए भी मजबूत आधार तैयार किया है।

नेतृत्व में बदलाव : अमरेंद्र प्रकाश बने हिंदुस्तान जिंक के नए CEO और पूर्णकालिक निदेशक : कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अमरेंद्र प्रकाश को 1 अगस्त 2026 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है। श्री अमरेंद्र प्रकाश भारत के इस्पात क्षेत्र के अनुभवी उद्योग जगत के नेताओं में से एक हैं और उनके पास तीन दशक से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वे 2023 से 2026 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने परिचालन दक्षता, उत्पादन क्षमता के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन और संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने जैसी कई महत्वपूर्ण पहलों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से एक ह्रदुरु ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं।

अमित गुप्ता बने हिंदुस्तान जिंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) : अमित गुप्ता ने 1 जून 2026 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का कार्यभार संभाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अमित गुप्ता के पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें वित्तीय रणनीति, पूंजी प्रबंधन, कारोबार में बदलाव, लागत कम करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने वेदांता समूह की विभिन्न कंपनियों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

ESG की प्रमुख उपलब्धियां : हमारी ESG पहलें कंपनी के कामकाज को और मजबूत बनाती है, जोखिम कम करने में मदद करती हैं और लंबे समय तक बेहतर विकास सुनिश्चित करती हैं। साथ ही, ये हिंदुस्तान जिंक को सतत विकास के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाने में भी मदद करती हैं।

चंदेरिया के बाद रामपुरा आगुचा खदान भारत की पहली खदान बनी, जिसे Zinc Mark प्रमाणन मिला।

पहली बार डाउ जोन्स बेस्ट इन क्लास इंडेक्स (उभरते बाज़ार) में शामिल हुई।

जिंक स्मेल्टर देबारी में भारत की पहली 250 मीट्रिक टन क्षमता वाली इलेक्ट्रिक क्रेन तैनात की गई।

एनवीरो व्हील्स मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जिंक स्मेल्टर देबारी में कर्मचारियों के आवागमन के लिए राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी 41 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई।

TIME की दुनिया की सबसे सस्टेनेबल कंपनियाँ 2026 की सूची में स्थान मिला।

एडवांटेक एसोसिएट्स एलएलपी और एयरो ईगल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन ईंधन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर काम करने के लिए समझौता (MoU) किया गया।

हिंदुस्तान जिंक के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरुण मिश्रा ने कहा कि हमने इस साल की शुरुआत शानदार प्रदर्शन के साथ की है। लगातार पांचवें साल पहली तिमाही में 268 किलो टन (KT) का अब तक का सबसे अधिक खनन धातु उत्पादन दर्ज किया है। यह हमारी मजबूत उत्पादन क्षमता और बेहतर कामकाज का परिणाम है। हमारी नई पहलें उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही हैं और दुनिया के सबसे कम लागत वाले जस्ता उत्पादकों में हमारी स्थिति को और मजबूत बना रही हैं।

सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी में तेजी

मुंबई | एजेंसी

सोने की कीमतों में 24 जुलाई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 824 रुपए गिरकर 1,43,781 रुपए पर आ गया है। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 241 रुपए बढ़कर 2,22,721 रुपए पर पहुंच गई है। एक दिन पहले सोना 1,44,605 रुपए और चांदी 2,22,480 रुपए पर थी। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1.33 लाख रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 32,340 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं, चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए थी, जो 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक चांदी 1.63 लाख रुपए सस्ती हो गई है।

आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा
जिला भीलवाड़ा–311021, राजस्थान

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा– 201301, (उ.प्र.), फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com वेबसाइट: https://www.rswm.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड की 65वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आर एसडब्ल्यूएम लिमिटेड ("कम्पनी") की 65वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को 2:00 बजे अपराह्न 65वीं एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03 / 2025 दिनांकित 22 सितम्बर, 2025 के साथ पठित इस संबंध में एमसीए द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के तौर पर संदर्भित) तथा अन्य लागू विधियों, विनियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी लागू परिपत्रों, के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा–311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो–ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत है। जिन सदस्यों का ई–मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उन्हें एक पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जिसमें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना के वेब–लिंक का उल्लेख होगा। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2026 से बुधवार, 26 अगस्त, 2026 (दोनों दिवस सम्मिलित)** तक कम्पनी बंद रहेंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शनिवार, 22 अगस्त, 2026 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 (5:00 बजे अपराह्न)** समाप्त होगी। **बुधवार, 19 अगस्त, 2026 की कट–ऑफ तिथि** के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, **कट–ऑफ तिथि बुधवार, 19 अगस्त, 2026** को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ईमेल पते के पंजीकरण की प्रणाली:

सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

भौतिक शेयर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड) 179–180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज– I, नई दिल्ली –110020 को फॉर्म **ISR–1** में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **क)** फोलियो नंबर, **ख)** शेयरधारक का नाम, **ग)** ईमेल पता, **घ)** पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **ङ)** आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **च)** शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे), **छ)** संपर्क नम्बर बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण / दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: **क)** बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, **ख)** बैंक खाता प्रकार, **ग)** बैंक खाता संख्या, **घ)** MICR कोड संख्या, **ङ)** आईएफएससी कोड, एवं **च)** प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए बैंक की प्रति
डीमैट शेयर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य "http://www.evoting.nsdl.com" के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध "सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका" संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022– 4886 7000 एवं 022– 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, उपाध्यक्ष, एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ओं) के अनुपालन में है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
हस्ता / –
सुरेन्दर गुप्ता
मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कम्पनी सचिव
एफसीएस–2615

स्थान: नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक: 24 जुलाई, 2026

9 अगस्त के निमंत्रण के साथ कृषि मंत्री से रखी 'एक देश एक मण्डी सेस' की मांग, कृषि सुधारों पर बीयूवीएम के सारगर्भित सुझाव

जयपुर | बिज़नेस रेमेडीज

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बीयूवीएम द्वारा 9 अगस्त को आयोजित स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिये निवेदन किया।

प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने किया। प्रतिनिधिमण्डल में बीयूवीएम मध्यप्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सलाहकार राजेश जैन, वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद मिश्रा, हेमन्त गुप्ता, महामंत्री राकेश यादव, अतुल गुप्ता, संगठन मंत्री सुनील पाण्डे तथा सन्त मिश्रा सहित देश के प्रमुख व्यापारी शामिल हुए। प्रतिनिधिमण्डल ने तिलहन तथा दलहन की पैदावार बढ़ाने, भण्डारण, विपणन, मूल्य संवर्धन तथा किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया कि यदि ज्ञापन में प्रस्तुत किये गये सुझावों को लागू किया जायें तो देश की कृषि व्यवस्था अधिक पारदर्शी, आधुनिक और किसान हितैषी बन सकती है। भारत देश 145 लाख टन तेल और 40 लाख टन दालें आयात करता है। तिलहन व दलहन की पैदावार को बढ़ाने के लिये बारानी जमीन को समतल करने, मिट्टी व पानी के अनुसार बीज की खोज करने, काम में आने वाले उपकरणों पर अधिक सब्सिडी देने के लिये सरकार कार्य करें तो पैदावार दुगुनी की जा सकती है।

मण्डी व्यवस्था खत्म नहीं, आधुनिक बनायी जायें:- व्यापार मण्डल ने सुझाव दिया कि कृषि मण्डियों को समाप्त करने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से सशक्त बनाया जायें। मण्डियों में वैज्ञानिक भण्डारण व्यवस्था, ग्रेडिंग व क्लीनिंग मशीनें, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पैकेजिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और बेहतर परिवहन सुविधायें विकसित की जायें, ताकि किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकें। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर हो। मण्डियों रेलवे ट्रेक से भी जोड़ी जायें।

एम.एस.पी. पर खरीद मण्डियों के आढतियों के द्वारा हो और समय पर भुगतान मिलें: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी प्रक्रिया कृषि मण्डियों में कार्य कर रहे आढतियों के द्वारा की जायें। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की एजेन्सियां समय पर भुगतान करें।

एक देश एक मण्डी सेस : एक देश एक कर की तर्ज पर पूरे देश में खाद्यान्न, तिलहन, गुड़, दलहन, मसाले आदि पर 50 प्रतिशत मण्डी सेस संधारित किया जायें। अधिक मण्डी सेस लगाना किसान के साथ न्याय नहीं है। कर उतना ही लिया जायें, जिससे मण्डियों का विकास हो सकें। कृषक कल्याण फीस, यूजर चार्ज व अन्य किसी प्रकार के सरचार्ज नहीं लगाये जाने चाहिये।

नाफेड व एन.सी.सी.एफ की नीतियां बाजार आधारित हो: प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि नाफेड व एन.सी.सी.एफ जैसी सरकारी एजेंसियों की खरीद व बिक्री नीति बाजार की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिये। पुराने स्टॉक का समयबद्ध निस्तारण किया जायें और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दरों पर बिक्री से बचा जायें। साथ ही आयात नीति भी घरेलू किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तय करें।

कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता:- व्यापार मण्डल ने सुझाव दिया कि कृषि नीति में उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात की पूर्ण विवेचना होनी चाहिये। किसानों की आय मण्डियों में आढ़तियों के माध्यम से क्रय-विक्रय किये जाने, ग्रेडिंग, क्लीनिंग तथा पैकेजिंग की समुचित व्यवस्था का विवेचन हो। किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया, पेस्टीसाईड्स आदि उपयोग में लेने के लिये प्रशिक्षित किया जायें।

एसीसी वाडी में अदाणी फाउंडेशन की पहल से कर्नाटक के ग्रामीण युवाओं को मिल रही डिजिटल उद्यमिता की नई राह

कर्नाटक | बिज़नेस रेमेडीज

विविध कारोबार वाले अदाणी पोर्टफोलियो का हिस्सा एसीसी और अदाणी फाउंडेशन, ग्रामीण कर्नाटक में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को उद्योग की ज़रूरतों के मुताबिक डिजिटल कौशल सिखा रहे हैं और उन्हें समुदाय आधारित उद्यम शुरू करने में मदद दे रहे हैं।

इसी पहल के तहत वाडी के लक्ष्मीपुरम गाँव की 19 वर्षीय ज्योति ने अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में डिजिटल लिटरेसी कोर्स में दाखिला लिया। इस कार्यक्रम ने उसे कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान, डिजिटल साक्षरता और अपना कारोबार शुरू करने का हौसला दिया। इलाके में रोज़गार के सीमित मौकों को देखते हुए एसीसी और अदाणी फाउंडेशन ने ज्योति को उद्यमिता के लिए भी सहयोग दिया। आर्थिक तंगी के कारण प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा करने के बाद उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। संस्था ने उसे एक कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराया, जिससे वह अपने ही गाँव में एक डिजिटल सर्विस सेंटर स्थापित कर सकी। आज यह सेंटर दस्तावेज़ तैयार करने, प्रिंटिंग, ऑनलाइन आवेदन भरने और सरकारी डिजिटल सेवाओं तक पहुँच जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है। इससे ग्रामीणों को ज़रूरी कामों के लिए पास के कस्बों या शहरों तक जाने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। इस कारोबार से हर महीने 7,000 से 8,000 की आमदनी होने की उम्मीद है, जिससे उसके परिवार की माली स्थिति भी मज़बूत होगी।

BANSWARA

बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड

सीआईएन: L24302RJ1976PLC001684

पंजीकृत कार्यालय: औद्योगिक क्षेत्र, दाहोद रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, बांसवाड़ा - 327001 (राजस्थान)

फ़ोन नंबर: +91 2962-257680, 257694, 240692

कॉर्पोरेट कार्यालय: 4-5वीं मंजिल, गोपाल भवन, 199, प्रिंसेस स्ट्रीट, मुंबई-400 002 (महाराष्ट्र)

फ़ोन नंबर: +91 22 66336571-76 फैक्स: +91 22 22064486/66336586

वेबसाइट: www.banswarasyntex.com ईमेल: Secretarial@banswarasyntex.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिना दावे वाले अंतिम लाभांश और इक्विटी शेयरों का ट्रांसफर

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा-परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 ('नियम') और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए घोषित अंतिम लाभांश, जिनका लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया, वो 26 अक्टूबर, 2026 को आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए देय हो जाएंगे और संबंधित शेयर जिनका लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया था, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे बिना दावे वाले लाभांश और शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.banswarasyntex.com/dividend-bonus-history/और https://www.banswarasyntex.com-/wp-content/uploads/2026/07/ UnPaidDividend_Final _201819.pdf पर अपलोड किया गया है।

कंपनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने हैं, ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें।

यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं: जिन शेयरधारकों के पास भौतिक शेयर प्रमाणपत्र हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि कंपनी मूल के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट फॉर्म में परिवर्तित किया जाएगा और आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जायेंगे।

यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं: डीमैट रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 26 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले अपने दावा न किए गए/अदत्त लाभांश राशि का दावा करें। ऐसी स्थिति में, 26 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ के पक्ष में इक्विटी शेयरों और दावा न किए गए लाभांश को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ेगी। कृपया ध्यान दें कि उसके बाद शेयरधारक निर्धारित फॉर्म IEPF-5 में आवेदन करके और उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके IEPF प्राधिकरण से लाभांश और संबंधित शेयरों का दावा कर सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना पता/बैंक विवरण/एनईसीएस/ईसीएस आदेश, यदि कोई हो, को अपडेट करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक आरटीए के पास उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1/आईएसआर-2 की हार्ड कॉपी जमा करके अपने बैंक विवरण, केवाईसी विवरण, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.banswarasyntex.com पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में रखे गए अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करा लें।

दावा न किए गए / अदत्त लाभांश का दावा करने के लिए शेयरधारक कंपनी के आरटीए को अनुरोध भेज सकते हैं, अर्थात:-

मेसर्स कंप्यूटेक शेयरकैप लिमिटेड,
147, महात्मा गांधी रोड,
जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने, फोर्ट,
मुंबई 400 001,
फ़ोन: +91-22-22635000, ईमेल आईडी: helpdesk@computechsharecap.in
वेबसाइट:- www.computechsharecap.com

बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
शालीन तोशनिवाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00246432

स्थान: बांसवाड़ा
दिनांक: 24 जुलाई, 2026

आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नैशनल बैंक ने अमरावती क्वांटम वैली में भारत का पहला बैंक-संचालित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अमरावती | बिज़नेस रेमेडीज

उभरती प्रौद्योगिकियों (इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज) के माध्यम से भारत के भावी बैंकिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने आज अमरावती क्वांटम वैली (एक्यूवी) में 'पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब' की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अशोक चंद्र की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, जो भारत के बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, प्रतिभा विकास तथा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और पीएनबी की साझा प्रतिबद्धता को दोहराता है।

इस अवसर पर, अशोक चंद्र ने 'पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब' का उद्घाटन किया, जिससे पीएनबी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक समर्पित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने हेतु किसी राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यह हब एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा जो बैंकिंग सेवाओं में सुधार, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, धोखाधड़ी का पता लगाने की प्रणाली को बेहतर बनाने, व्यावसायिक परिचालन को अनुकूलित करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और भविष्य के लिए सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणालियों का निर्माण करने वाले व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और प्रौद्योगिकी भागीदारों को एक साथ लाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र तीव्र डिजिटल परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जिसके साथ तेजी से जटिल होते साइबर खतरे, बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रयास और निरंतर विकसित होती सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रहे विकास वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। जहां एक ओर ये प्रौद्योगिकियां कार्यकुशलता, ग्राहक सेवाओं और जोखिम प्रबंधन में सुधार के व्यापक अवसर प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर ये बैंकों से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपनाने की भी मांग करती हैं। पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब अगली पीढ़ी के ऐसे बैंकिंग समाधानों के विकास, परीक्षण और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाएगा जो सुरक्षित, बुद्धिमत्तापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार हों। यह पहल सहयोगात्मक अनुसंधान का भी समर्थन करेगी, स्टार्टअप्स के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करेगी, उद्योग-शिक्षा जगत की भागीदारी को बढ़ावा देगी और एक कुशल कार्यबल का निर्माण करेगी जो वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को गति देने में सक्षम होगा।

इस अवसर पर अपने व्याख्यान में, मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण अमरावती को गहन प्रौद्योगिकियों और नवाचार का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। अमरावती क्वांटम वैली उन कई नवाचार पारिस्थितिकी प्रणालियों में से पहला है, जिन्हें हम इस भव्य दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में अमरावती में विकसित कर रहे हैं। पंजाब नैशनल बैंक क्वांटम एंड एआई फाइनेंस इनोवेशन हब की स्थापना इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और बैंकिंग क्षेत्र को एक साथ लाकर, यह साझेदारी बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और व्यावहारिक समाधानों के विकास को गति देगी। चूंकि वित्तीय क्षेत्र अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और निरंतर विकसित होती साइबर सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए यह पहल सुरक्षित, बुद्धिमत्तापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग समाधानों के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। अमरावती में एक विश्व स्तरीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए क्वांटम प्रौद्योगिकियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल फाइनेंस में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक के साथ साझेदारी करके हम अत्यंत प्रसन्न हैं।

इस अवसर पर पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र ने कहा कि पीएनबी क्वांटम एंड एआई फाइनेंस इनोवेशन हब अगली प्रौद्योगिकी और नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आंध्र प्रदेश सरकार और अमरावती क्वांटम वैली के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से, हमारा उद्देश्य बैंकिंग सुरक्षा को सुदृढ़ करना, परिचालन दक्षता को बढ़ाने, ग्राहक अनुभव में सुधार करने और बैंक को डिजिटल बैंकिंग के भविष्य के लिए तैयार करने हेतु क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाना है। यह हब अगली पीढ़ी की वित्तीय प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, नवाचार, व्यवसाय विकास और गति के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, उद्योग साझेदारियों, पायलट कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों और नवाचार चुनौतियों को बढ़ावा देगा जो बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं का समाधान करते हैं। यह हब समर्पित व्यवसाय विकास और गति कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स का भी समर्थन करेगा, जिससे उद्यमियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नवाचारियों को वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर व्यावहारिक समाधानों को सह-विकसित, सत्यापित और बड़े पैमाने पर विस्तारित करने में मदद मिलेगी। यह पहल स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, क्वांटम-सुरक्षित बैंकिंग और एआई-संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक सुरक्षित, लचीला और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के भारत के प्रयासों को पूरक बनाती है।

संपादकीय

उत्पादन-निर्यात प्रोत्साहन व आत्मनिर्भर भारत मिशन प्रेरित सरकार की निवेश योजना

कुशाग्र

केंद्र सरकार ने देश की भावी तकनीकी व औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति चिप व फोन उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए दी है। भारत गत कुछ वर्षों के दौरान ही विश्व में फोन का प्रमुख उत्पादक बन गया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां जिनमें एप्पल, सेमसंग भी शामिल है। इन कंपनियों ने गत वर्षों के दौरान अपने उत्पादन आधार को चीन से हटाकर भारत स्थानान्तरित करने का कार्य किया है। दक्षिण भारत में संयंत्रों की स्थापना करके शुद्ध निर्यातकों की श्रेणी में आ गये हैं। इन्डियन सेमीकन्डक्टर मिशन को सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश से लाभान्वित किया है जबकि फोन उपयोग को 62500 करोड़ रुपये निवेश से लाभान्वित करने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा व योजना के कारण देश में 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे उत्पादन को 2 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और देश के निर्यात में शुद्ध एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। मोबाइल उत्पादन योजना 5 वर्ष तक प्रभाव में रहने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि सेमीकन्डक्टर क्षेत्र में सम्पूर्ण सप्लाई चेन के सहयोग से मिट्टी सिलिकॉन इन्गट्स वेफर्स से फ्रेबिकेटेड वेफर्स इन्टेग्रेटेड सर्किटस् और सब एसेम्बलीज को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इस योजना से देश को 6 लाख से अधिक रोजगारों के सृजन में प्रोत्साहन मिलने वाली संभावना है। यही नहीं प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 39 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन का लाभ होना यही नहीं 15 लाख करोड़ रुपये का निर्यात भी संभव होने की संभावना है।

सरकार ने इसी सन्दर्भ में मंत्रिमंडलीय बैठकें करने के साथ सरकार ने मोबाइल फोन के साथ इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खाड़ी संकट के दौरान देश को सर्वाधिक तनाव का सामना रासायनिक खाद की उपलब्धता को लेकर करना पड़ा है क्योंकि

एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने से घरेलू उत्पादन भी प्रभावित होता रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनिक्स के साथ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति की भी घोषणा भी है। यूरिया 2026 निवेश नीति की घोषणा की है। इस घोषणा के अन्तर्गत सरकार ने यूरिया के सन्दर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लिया है। सरकार मोबाइल फोन व सेमीकन्डक्टर के सन्दर्भ में निर्यात प्रोत्साहन का कार्य कर रही है, लेकिन यूरिया की आपात निर्यात को समाप्त करने के लिए देश में आत्मनिर्भर नीति पर कार्य की शुरूआत की गई है। नई नीति के माध्यम से पूर्व भी वर्ष 2012 की नीति में व्यापक बदलाव का निर्णय लिया है।

नई नीति के माध्यम से सरकार ने स्थाई लागत व परिवर्तनीय लागत को अलग करने की घोषणा की है। इसी तरह पूंजी पर न्यूनतम 12 प्रतिशत आय को सुनिश्चित करने की घोषणा की है। यह आय 16 प्रतिशत अधिकतम रहने की संभावना है। सरकार के इस निर्णय से निवेश को प्रोत्साहन व गतिशीलता प्राप्त होने की संभावना है। नई नीति में विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अन्तर्गत स्थाई लागत को रुपये में परिवर्तित करने की छूट होगी। यह चार वर्ष पश्चात संभव होगा। यह कार्य उस समय प्रचलित विनिमयन दर के आधार पर होगा। सरकार ने कहा है कि इन बदलावों से सम्पूर्ण उद्योग में पारदर्शिता बढ़ेगी ओर प्रत्येक नई उत्पादन इकाई को इससे 250 रुपये का लाभ होने की संभावना है। करोड़ों रुपये का निवेश राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर निवेश करने की भी घोषणा की है। इसी तरह उड़ीसा की दो व झारखण्ड की रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करने का कार्य किया गया है। इन पर 3907 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। सरकार ने वाराणसी रिंग रोड की निर्माण योजना पर भी 10998 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। सरकार सड़क योजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 जोड़ने की योजना पर कार्य कर रही है। ये परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर निर्मित होगी। इस पर 1447 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से समय की बचत 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाने की संभावना है। सरकार प्रत्येक स्तर पर देश के बुनियादी ढांचागत विकास को गत वर्षों के दौरान प्राथमिकता देती रही है और पूंजीगत खर्च जो 2014 में 2.25 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था, वह वर्ष 2025-26 में बढ़कर 11.05 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 में बढ़कर 11.05 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 में 11.25 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर प्रस्तावित है। भारत व ब्रिटेन के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता लागू होकर प्रभाव में आ गया है। इससे भारत के निर्यात को व्यापक स्तर पर लाभ व प्रोत्साहन मिलने क संभावना है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 140 मिलियन डॉलर का भारतीय माल शीघ्र ही ब्रिटेन के बाजार हेतु तैयार है। इससे टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, इन्जीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शमिल है। इस समझौते के अन्तर्गत भारत से निर्यात किये जाने वाले 99 प्रतिशत उत्पादों का ब्रिटेन को निर्यात शून्य आयात शुल्क पर होगा। यह एक शुद्ध लाभ की स्थिति है।

अपीलेन्ट साझेदारी फर्म के साझेदारी नहीं, दस्तावेजों पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं-दोष मुक्त अपील स्वीकार

केस नं. 2024 (3) DCR 342 क्रिमिनल आवेदन 16543-16545

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिव्येश जोशी के समक्ष एक याचिका परिक्राम्य अधिनियम की धारा 138-141 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 482 के अर्न्तगत साझेदारी के चेक पर हस्ताक्षर नहीं होने तथा अपीलेन्ट स्वयं साझेदार नहीं होने की मांग के साथ करमसी डाला भाई देसाई व अन्य बनाम गुजरात संस्करण अन्य संबंधित प्रकरण में विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

शिकायतकर्ता के प्रकरण को संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि क्रिमिनल प्रकरण 6364 वर्ष 2018 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 2 जो शिकायतकर्ता है। उसके साथ उसकी पत्नी दोनों एक कृषि भूमि के मालिक है जो 377 सर्वे 185 का हिस्सा है और आकार 0.28-33 वर्गमीटर है। यह भूमि मेघनगर में स्थित है।

इसी के साथ कृषि भूमि खाता 378 जो 0.19-28 वर्गमीटर है को दावा संपत्ति संख्या 2 बताया गया है। इसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या दो शिकायतकर्ता की सहमति से दावा ग्रस्त सम्पत्तियों को अपीलेन्ट संख्या 2-6 मूल भूमि मालिकों के द्वारा बेच दी गई। पंजीकृत विक्रय पत्र 12.11.2014 तथा 20.05.2016 के द्वारा यह कार्य निष्पादन किया गया और यह दोनों विक्रय पत्र 27900000 रुपये तथा 49500000 की राशि के क्रियान्वित किये गये। इस भूमिका सही मूल्य 375100000 रुपये था तथा 259850000 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 115000000 का भुगतान नहीं किया गया। इसके पश्चात् सिद्धि विनायक एसोसिसेट जो एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है, उसने अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से 115000000 रुपये के दोषी संख्या 6 द्वारा कुल 7 चेक जारी किये गये ताकि शेष राशि का भुगतान किया जा सके लेकिन जब यह चेक बैंक में जमा किये गये तो अनादरित होकर लौट कर आ गये और इसी सन्दर्भ में नोटिस धारा 138 परिक्राम्य अधिनियम के अर्न्तगत प्रेषित किया गया यह नोटिस हालांकि एक चेक संख्या 06.06.2018 को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात शिकायतकर्ता ने क्रिमिनल शिकायत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध चेक संख्या 012375 आईडीबीआई के सन्दर्भ में दर्ज की गई, इसके वर्तमान अपीलेन्ट भी हैं। अपीलेट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा यह क्रिमिनल प्रकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह प्रकरण ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दायर किया गया है जिसने चेक जारी ही नहीं किया है। ऐसे हालात में धारा 138 के अर्न्तगत उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है उसने कहा कि अपीलेन्ट साझेदारी नहीं है और नहीं उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ही किये हैं। ऐसा शिकायतकर्ता की शिकायत से भी स्पष्ट हो जाता है। अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी व अन्य लोगों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके अपना अधिकार समाप्त करने का कार्य किया है और उचित धनराशि प्राप्त करके अधिकार अपीलेन्ट के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने व दस्तावेजों अध्ययन के पश्चात् कहा कि यह सत्य है कि अपीलेन्ट साझेदारी फर्म के साझेदार नहीं है और दस्तावेजों पर इनके हस्ताक्षर भी नहीं है। अत: जो कार्यवाही धारा 138 के अर्न्तगत शुरू की गई है। यह न्यायालय के साथ ही धोखाधड़ी का प्रकरण है। ऐसे हालात में ट्रायल न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह गलत है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। न्यायालय कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 तथा उसकी पत्नी जो मूल शिकायतकर्ता है। दोनों ने वर्तमान अपीलेन्ट के विरूद्ध दावा किया है और उस दावे में मूल दोषी संख्या एक से आठ को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है और उनके पक्ष में किसी प्रकार की उदारता की मांग भी नहीं की गई है। यह स्पष्ट है कि प्रमुख संख्या 6 ही प्रथम दोषी व्यक्ति का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शिकायतकर्ता इस तथ्य को गलत साबित करने में सफल नहीं हो पाया है कि अपीलेन्ट उस साझेदारी फर्म के साझेदारी नहीं है और वे इस पर हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अपीलेन्ट के विरूद्ध जो आरोप धारा 138 के अन्तर्गत लगाये गये हैं। न्यायालय उनको स्वीकार करता है। न्यायालय ने कहा कि कानून यह भी कहता है कि जब किसी दस्तावेज चेक पर साझेदारी फर्म के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तो धारा 138 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी ने चार शिकायतें एक ही सन्दर्भ में की है। ये शिकायतें विभिन्न न्यायालयों में की गई है। इनमें से दो न्यायालयों ने मुख्य दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की है जो 8 साझेदार हैं शेष 2 शिकायतें सन्दर्भ में ट्रायल न्यायालय ने आदेश पारित किये है। इसमें सभी दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसमें वर्तमान अपीलेन्ट भी शामिल है। इस प्रकरण में जब अपीलेन्ट साझेदार ही नहीं है। उन्होंने दस्तावेजों पर कोई हस्ताक्षर भी नहीं किये है। ऐसे हालात में जो कार्यवाही उनके विरूद्ध शुरू की गई है। वह कानून का एक दुरूपयोग है। ट्रायल न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपीलेन्ट साझेदार नहीं है। उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी नहीं है। न्यायालय ने वर्तमान अपील को स्वीकार करने का आदेश दिया।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णय को पढ़कर पाठकों के हित में प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें। **-संपादक**

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216
पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा–311021, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा– 201301, (उ.प्र.), फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: https://www.rswm.in

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड की 65वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आर एसडब्ल्लूएम लिमिटेड ("कम्पनी") की 65वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को 2:00 बजे अपराह्न 65वीं एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितम्बर, 2025 के साथ पठित इस संबंध में एमसीए द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के तौर पर संदर्भित) तथा अन्य लागू विधियों, विनियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी लागू परिपत्रों, के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा–311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो–ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों का ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उन्हें एक पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जिसमें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना के वेब–लिंक का उल्लेख होगा। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2026 से बुधवार, 26 अगस्त, 2026 (दोनों दिवस सम्मिलित)** तक कम्पनी बंद रहेंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शनिवार, 22 अगस्त, 2026 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 (5:00 बजे अपराह्न)** समाप्त होगी। **बुधवार, 19 अगस्त, 2026 की कट–ऑफ तिथि** के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, **कट–ऑफ तिथि बुधवार, 19 अगस्त, 2026** को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ईमेल पते के पंजीकरण की प्रणाली:

सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

भौतिक शेयर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड) 179–180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज– I, नई दिल्ली –110020 को फॉर्म **ISR–1** में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **क)** फोलियो नंबर, **ख)** शेयरधारक का नाम, **ग)** ईमेल पता, **घ)** पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **ङ)** आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **च)** शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे), **छ)** संपर्क नम्बर बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: **क)** बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, **ख)** बैंक खाता प्रकार, **ग)** बैंक खाता संख्या, **घ)** MICR कोड संख्या, **ङ)** आईएफएससी कोड, एवं **च)** प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
डीमैट शेयर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य "http://www.evoting.nsdl.com" के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध "सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका" संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022– 4886 7000 एवं 022– 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, उपाध्यक्ष, एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ओं) के अनुपालन में है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
हास्ता/–
सुरेन्दर गुप्ता
मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कम्पनी सचिव
एफसीएस–2615

स्थान: नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक: 24 जुलाई, 2026

हेल्थ ◆ सोसायटी ◆ एज्युकेशन

समय की मांग

नमन करें, चिंतन करें, रखिए याद सदैव।
मेवों के दातार हैं, तरु देवों के देव।।

साभार :- शारदा-नवल डागा

आज का विचार

अजीब स्थिति है कि व्यस्तम् व्यक्ति सदैव सुलभ होता है।
- अज्ञात

सम्पूर्ण व्यापारिक दैनिक
नफा नुकसान

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक: वैभव कोठारी
(पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)
फोन: 0141-4011152
0141-3518087
ई-मेल : info@nafanuksan.com

डिसक्लेमर

नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठको को कारोबारी जगत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारियों से मेल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सारोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए विज्ञापनदाता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।

मन में उठते गलत विचार भी हैं बीमारी का कारण

नई दिल्ली@एजेन्सी। भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का सिद्धांत है- 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च।' मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति के रोग का उपचार करना ही आयुर्वेद है। कोई भी व्यक्ति सेहतमंद तभी रहेगा जब वह नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। आयुर्वेद मानता है कि किसी भी व्यक्ति के बीमार होने के तीन मुख्य कारण होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च (आईजेएचएसआर) में भी इसे लेकर लेख प्रकाशित हुआ। इस शोध पत्र में बाह्य और निज वजहों का उल्लेख है, जो मन और शरीर के बीच सामान्य संतुलन की गड़बड़ी से पैदा होता है।

अध्ययन शरीर की निजता को समझने के लिए बाहरी दुनिया से संतुलन बनाने की सलाह देता है। इसका मतलब है कि शरीर का आंतरिक वातावरण बाहरी दुनिया के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। विकार तब होता है जब दोनों में संतुलन नहीं होता है, इसलिए आंतरिक वातावरण को बदलने के लिए, इसे बाहरी दुनिया के साथ संतुलन में लाने के लिए, मन और शरीर की स्थिति के भीतर रोग होने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार, किसी भी बीमारी का मूल कारण हमेशा त्रिदोष या शरीर के द्रव्यों का असंतुलन होता है। बीमारियां अमूमन दो तरह की होती है। एक लाइफस्टाइल संबंधित (एलडी) और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजिज (एनसीडी)। इनके तीन कारण - असत्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञाप्रद और परिणाम। अब जब मौसम पल-पल बदल रहा हो तो इनके बारे में जान लेना आवश्यक है।

असत्मेंद्रियार्थ संयोग यानी इन्द्रियों का दुरुपयोग, मतलब सेंसरी ऑर्गन के बीच कुप्रबंधन और भ्रम की स्थिति होना। जब गर्मी चरम पर हो और प्यास लगे तो हमें ठंडा कोला या सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो गले को ही न तर करे बल्कि पेट के लिए भी सही हो। पेट में तरावट बनाये रखना अत्यंत अहम है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के आठ अलग-अलग सिद्धांत हैं जो प्रकृति (भोजन की प्रकृति), करण (भोजन बनाने की प्रक्रिया), संयोग (विभिन्न भोजन का संयोजन), राशि (मात्रा), देश (स्थान), काल (समय), उपयोग संस्था (भोजन करते समय सावधानियां) और उपयोग (उपयोगकर्ता स्वयं) पर आधारित हैं। भोजन करते समय इन सिद्धांतों (मात्रा को छोड़कर) की उपेक्षा करना रस इंद्रिय (जीभ) का अनुचित उपयोग है। अधिक गर्म या ठंडे पानी से स्नान करना, अत्यधिक मालिश (अभ्यंग) या शरीर को मलना (उत्साह) स्पर्श इंद्रिय (त्वचा) का अधिक उपयोग है। स्नान और इन प्रक्रियाओं से बचना स्पर्श इंद्रिय (त्वचा) का कम उपयोग है। इन प्रक्रियाओं का गलत क्रम या तरीके से उपयोग करना ही विकार को जन्म देता है और हम रोग के चंगुल में फंसते हैं। प्रज्ञाप्रद (बुद्धि का दुरुपयोग) का अर्थ है गलत विचारों के साथ गलत कार्य करना, इससे दोष उत्पन्न होता है और शरीर में असंतुलन पैदा होता है। आचार्य चरक ने परिणाम का उल्लेख किया है, जिसका आयुर्वेदानुसार अर्थ मौसमी बदलाव से है। काल (समय)- शीत (ठंड), उष्ण (गर्मी) और वर्षा (बारिश) के बीच असंतुलन या अनुपातहीनता से जुड़ा है। इससे स्पष्ट है कि आज जिस तरह का वातावरण है, उसमें बीमारियों का मुकाबला करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, तभी 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम सूक्त' चरितार्थ हो पाएगा।